



संख्या-77/2026/584/सैंतीस-2-2026/1(44)/2017

प्रेषक,

रवीन्द्र प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-25 मार्च, 2026

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन-104-भेड़ तथा ऊन विकास-03-भेड़ प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढीकरण (जिला योजना) के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-25/प.-1/9ख/भेड़ प्रजनन की सुविधा/2025-26, दिनांक-17.03.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन-106-अन्य पशुधन विकास-06-बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान की योजना के मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में सम्भावित बचतों से लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन-104-भेड़ तथा ऊन विकास-03-भेड़ प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढीकरण (जिला योजना) के मानक मद 02-मजदूरी में रु0-12.98 लाख (रूपये बारह लाख अठान्नवे हजार मात्र) की धनराशि संलग्न प्रपत्र बी.एम.-9 के अनुसार पुनर्विनियोजित किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) जिस योजना/मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी
- (3) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।
- (4) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (5) प्रस्ताव में आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।
- (6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- 2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-104-भेड़ तथा ऊन विकास-03-भेड़ प्रजनन सुविधाओं का प्रसार एवं सुदृढीकरण (जिला योजना)-02-मजदूरी के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा आवंटित आर.ई. संख्या बजट-1-655, दिनांक-24.03.2026 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।
- संलग्नक - प्रपत्र बी.एम.-9

भवदीय,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)

संयुक्त सचिव।

पू0सं0-77/2026/584(1)/सैंतीस-2-2026/1(44)/2017, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1/नियोजन अनु०-3 ।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र प्रताप सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।